(4)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/ग्वालियर/भू.रा./2017/2162 विरूद्ध आदेश दिनांक 01-06-2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक बहोड़ापुर तहसील व जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 13/2016-17/अ-12

पूरनचंद शिवहरे पुत्र श्री यादराम शिवहरे
निवासी चार शहर का नाका, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. सिद्धेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति
   मर्यादित ग्वालियर अध्यक्ष महेश दीवान
   पुत्र जे.के. दीवान, निवासी डी.वी. सिटी,
   ई ब्लॉक, क्वार्टर नम्बर-608, 6वीं मंजिल,
   सिटी सेंटर ग्वालियर
2. हरिमोहन शिवहरे पुत्र श्री यादराम शिवहरे
   निवासी सुभाष नगर चार शहर का नाका,
   ग्वालियर
3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
   जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए.के. अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक बहोड़ापुर तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 01-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक 1 द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष ग्राम शंकरपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर 845/मिन-1, 846/मिन-1, 847/मिन-2, 848/मिन-1 कुल रकबा 1.447 हेक्टयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक बहोड़ापुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/2016-17/अ-12 दर्ज कर दिनांक 01-06-2017 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 संस्था द्वारा ग्राम शंकरपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर पूर्व में सीमांकन दल द्वारा उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में स्थित होने तथा स्थायी बिन्दु स्थल से बहुत दूर होने के कारण सीमांकन करने में असमर्थता व्यक्त की गई थी । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक ने तहसीलदार को प्रतिवेदित किया है कि संस्था की भूमि का सीमांकन ई.टी.एस. मशीन द्वारा कराये जाने हेतु भू-अभिलेख शाखा को लिखा जाये एवं सीमांकन हेतु दिनांक 31-05-2017 नियत की गई, किन्तु उक्त दिनांक को मौसम खराब होने के कारण सीमांकन हेतु दिनांक 01-06-2017 की तिथि नियत किये जाने का उल्लेख आदेश पत्रिका में किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि दिनांक 01-06-2017 की आदेश पत्रिका के अनुसार सीमांकन पूर्ण कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड करने अंकित किया गया एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु पीठासीन अधिकारी को भेजे जाने का उल्लेख किया गया है, परंतु प्रकरण किसी पीठासीन अधिकारी को नहीं भेजा गया है, इस कारण आवेदक को सीमांकन में आपत्ति करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की कार्यवाही भूमि स्वामियों के स्वत्व एवं नक्शे के अनुसार की जानी चाहिए, परंतु राजस्व निरीक्षक ने कब्जे के आधार पर सीमांकन करने में त्रुटि की है । यह भी कहा गया कि सर्वे क्रमांक 846 रकबा 0.042 हेक्टयर आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 के स्वत्व एवं आधिपत्य का है, जिसमें सिंचाई हेतु कुंआ है एवं पक्का कमरा बना हुआ है । उक्त भूमि आवेदक ने कभी अंतरित नहीं की है । सीमांकन द्वारा सर्वे क्रमांक 846 के भूमि स्वामी को उनके स्वत्व एवं अधिकार से वंचित कर दिया है, अतः ऐसा सीमांकन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 ग्राम शंकरपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 845, 846, 847, 848 के मालिक है । आवेदक का उक्त भूमि पर वास्तविक आधिपत्य है, परन्तु अनावेदक क्रमांक 1 संस्था के अधिकारी तथाकथित सीमांकन के आधार पर आवेदक को उनके स्वत्व की भूमि से वंचित करना चाहते है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 31-05-2017 को आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना पत्र की तामील नहीं हुई है, किसी असंबंधित व्यक्ति के

फर्जी हस्ताक्षर कराकर सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी है । सूचना पत्र में 3 व्यक्तियों के नाम थे, अतः तीनों व्यक्तियों को सूचना पत्र निर्वाहित करना चाहिए था । आवेदक चार शहर का नाका में निवास करता है एवं अनावेदक क्रमांक 2 सुभाष नगर में निवासरत है किन्तु सूचना पत्र उनके सही पते पर नहीं भेजे गये है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 पूर्व से एकपक्षीय है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि मैं सीमांकन के समय उपस्थित नहीं था और न ही सूचना पत्र एवं पंचनामा पर मेरे हस्ताक्षर है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के सम्बन्ध में आवेदक को सूचना पत्र की तामीली विधिवत नहीं कराई गई है । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है मिन सर्वे नम्बर का बटान नहीं है, इसलिए सीमांकन के पूर्व मिन का बटान किया जाना आवश्यक है । विचारणीय बिन्दु यह है कि भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का ही सीमांकन किया जा सकता है, मात्र कब्जे के आधार पर सीमांकन नहीं किया जा सकता है । राजस्व निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये सीमांकन किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण कार्यवाही है । अतः प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह मिन सर्वे नम्बर का बटान किया जाकर, आवेदक सहित समस्त पड़ोसी कृषकों को विधिवत सूचना पत्र की तामीली कराई जाकर, उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक बहोड़ापुर तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 01-06-2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर